न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3341–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–6–2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक सर्किल शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 11/अ–12/2014–15.

1. मोतीलाल मिश्रा तनय स्व0 श्री ज्वाला प्रसाद मिश्रा
2. चन्द्रकुमार तनय स्व0 श्री मारकण्डेय प्रसार मिश्रा
3. आदित्य प्रसाद मिश्रा स्व0 श्री रामशरण मिश्रा
4. चन्द्र प्रताप मिश्रा तनय श्री मोतीलाल मिश्रा
   सभी निवासी ग्राम हिनौत तहसील सेमरिया
   जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. प्राण्नाथ मिश्रा तनय श्री रामनरेश मिश्रा
   निवासी ग्राम हिनौता तहसील सेमरिया
   जिला रीवा म0प्र0
2. मध्यप्रदेश शासन

——— अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक आवेदकगण
श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक कं 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 05 मई 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक सर्किल शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 ने राजस्व निरीक्षक शाहपुर के समक्ष भूमि खसरा कमांक 1047, 1048 एवं 1049 के सीमांकन किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। राजस्व

निरीक्षक ने हल्का पटवारी से सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। सीमांकन उपरांत हल्का पटवारी ने सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 21–6–15 को राजस्व निरीक्षक के समस्त प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 21–6–15 को सीमांकन की पुष्टि की। राजस्व निरीक्षक के उक्त सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण अभिभाषक ने तर्क किया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रकरण में आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई जबकि अनावेदक सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार थे। तर्क में यह भी कहा कि हल्का पटवारी के सीमांकन प्रतिवेदन के प्रस्तुत दिनांक को राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन की पुष्टि कर दी गई। किसी को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। यह भी तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन नियमों का पालन नहीं किया है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक कं0 1 के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि आवेदकगण को सीमांकन की सूचना दी गई थी जिसपर उनके हस्ताक्षर हैं। यह भी तर्क दिया कि अनावेदक की भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाये जाने के कारण उनके द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत प्रकिया अपनाकर सीमांकन किया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदक कमांक 1 द्वारा सीमांकन बावत आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व निरीक्षक ने हल्का पटवारी से सीमांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया था। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में संलग्न सूचना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण के उक्त सूचना पत्र हस्ताक्षर नहीं हैं। स्पष्ट है कि हल्का पटवारी ने सरहदी कास्तकार आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना दिये बिना ही

सीमांकन की कार्यवाही की है। स्थल पंचनामा पर भी आवेदकगण के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसके अतिरिक्त हल्का पटवारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 की भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाने संबंधी प्रतिवेदन दिनांक 21–6–15 को राजस्व निरीक्षक को प्रस्तुत किया था उसी दिनांक को ही राजस्व निरीक्षक ने उक्त विचाराधीन सीमांकन की पुष्टि कर दी। आवेदकगण सहित किसी भी सरहदी कास्तकार को सीमांकन आदेश के पूर्व आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रदान नहीं किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना दिये बिना और हस्ताक्षर कराये बिना पंचनामा बनाना कार्यवाही को दुषित एवं व्यर्थ कर देता है। राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण के सरहदी कास्तकार होने से हितबद्ध पक्षकार होते हुये भी बिना सूचना एवं आपत्ति का अवसर दिये बिना सीमांकन आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है। दर्शित परिस्थितियों में राजस्व निरीक्षक का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। राजस्व निरीक्षक का आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। राजस्व निरीक्षक सर्किल शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–6–2015 निरस्त किया जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर